



## XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1417-II/15

जिला- खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-7-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;">             ( एम.के.सिंह )            सदस्य         </p>	



## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण कं.

/ 2015

रैस्ट्री ०१५१७-११-१९

श्री मुकेश भागवत - एडवोकेट  
द्वारा आज दि. 8-6-15 को  
प्रस्तुत

व. क.  
राजस्व मण्डल म.प्र.

शंखधर प्रसाद पुत्र श्री रामसिरोमणिप्रा.  
निवासी ग्राम हिर्नाती तहसील रामपुर बाघेलान  
जिला - सतना (म.प्र.) - आवेदक

प्रिज्म सीमेन्ट लिमिटेड मन्कहरी तहसील  
रामपुर बाघेलान जिला - सतना म.प्र.  
द्वारा - ए. के. तिवारी सहायक महाप्रबन्धक  
कार्मिक प्रिज्म सीमेन्ट लिमि. मन्कहरी  
जिला - सतना (म.प्र.) - अनावेदक

WS  
मुकेश भागवत

8-6-15 एडवोकेट  
ग्वालियर

म.प्र. मू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 9 के अंतर्गत निर्मित  
नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र ।